



Neutral Citation No. - 2026:AHC:137905

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या - 527/2026

परिक्षित प्रधान (नाबालिग) और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : देवांग सावला, उत्कर्ष श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अनुराग शर्मा, भरत सिंह पाल, क्षितिज, प्रशांत कुमार सिंह, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रतिवाद शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसे अभिलेखित कर लिया गया है।

दिनांक 03.07.2026 के आदेश के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को निर्देश दिया गया था कि वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता परिक्षित प्रधान की उपस्थिति की सुविधा प्रदान करें, ताकि न्यायालय उनसे बातचीत कर सके और किसी भी बाहरी प्रभाव या हस्तक्षेप से मुक्त होकर उनकी इच्छाओं का पता लगा सके।

उक्त आदेश के अनुपालन में, इस न्यायालय ने दोपहर 12:15 बजे से 12:30 बजे तक दुबई स्थित भारतीय दूतावास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिकाकर्ता परिक्षित प्रधान और उनकी माता/प्रतिवादी संख्या 4, डॉ. दीक्षा रोहरा से बातचीत की। बातचीत के दौरान, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह लगभग 15 वर्ष का है, कक्षा 10 में पढ़ रहा है, और अपने पिता डॉ. हर्ष प्रधान के साथ बातचीत या उनके साथ नहीं रहना चाहता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता से बातचीत के बाद, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता और उसके पिता के बीच कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता से किसी भी प्रकार की बातचीत करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता डॉ. हर्ष प्रधान, जो आज इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे से बातचीत करने का अवसर दिया गया था। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और बच्चे को उनसे बातचीत करने के लिए मनाने का भरसक प्रयास किया; यद्यपि बच्चे ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उच्च शिक्षित हैं और बच्चे को व्यावसायिक उत्कृष्टता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त हैं। फिर भी, बच्चे ने अपनी पढ़ाई में अपने पिता की सहायता लेने से भी अनिच्छा व्यक्त की।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता डॉ. हर्ष प्रधान और उनकी पत्नी डॉ. दीक्षा रोहरा के बीच सुलह की संभावना तलाशने का भी भरसक प्रयास किया। यद्यपि, दोनों से बातचीत करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उनके बीच वैवाहिक कलह इस स्तर तक पहुंच गई है कि मतभेद सुलझाए न जा सकने वाले प्रतीत होते हैं, जिससे उनका सहजीवन पुनः शुरू करना असंभव हो गया है।

यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध तलाक की कार्यवाही शुरू की है और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत भी कार्यवाही शुरू की है। प्रतिवादी संख्या 4 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह वैवाहिक घर में याचिकाकर्ता के साथ बातचीत या सहवास करने को तैयार नहीं है। उसने आगे कहा कि वह पेशेवर रूप से योग्य है, लाभकारी रोजगार रखती है और स्वयं के साथ-साथ नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण स्वतंत्र रूप से करने में पूरी तरह सक्षम है।

निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यद्यपि याचिकाकर्ता को पहले नाबालिग बच्चे से मिलने का अधिकार दिया गया था, प्रतिवादी संख्या 4 ने इस आदेश को इस न्यायालय में एक उपयुक्त याचिका दायर करके चुनौती दी है, जो वर्तमान में समन्वय पीठ के समक्ष लंबित है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने वाराणसी स्थित सक्षम न्यायालय में नाबालिग बच्चे की निरोध के लिए भी कार्यवाही शुरू की है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 4 ने उन कार्यवाही की वैधता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निरोध कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि मुलाक़ात के अधिकारों से संबंधित मुद्दा पहले से ही इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष विचाराधीन है, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई हिरासत कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा, मृतक ने याचिकाकर्ता से बातचीत करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। परिणामस्वरूप, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

यह भी स्पष्ट है कि मृतक अपनी माता, प्रतिवादी संख्या 4, डॉ. दीक्षा रोहरा के साथ दुबई में रह रहा है और किसी भी व्यक्ति की अवैध हिरासत या गैरकानूनी नजरबंदी में नहीं है। इसलिए, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।

तदनुसार, तत्काल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका **निरोध** की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

9 जुलाई, 2026

मयंक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।